

१८/१११७
१८/१११७

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... श्री विनोद लल्लू रघुवरी 2. वर्तमान धारित पद ... सहाय मार्गील
3. वर्तमान वेतन ... रु. ६५० + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... जुलाई 2017



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) श्री - लल्लू रघुवरी तहु - लल्लू रघुवरी जिला - दार्जनी गावाड़	मिट्टी का घोब्लू गाँव कुन्ना भवन १००० चौर	छोड़ भूमि १२ एकड़ियामग (प्रदूषित भूमि)	३०५३ १२,००००००० (प्रदूषित भूमि)	लंबे के नाम से पुरातत रह पाती है।	१) प्रक्षेपिते प्राप्त २) उत्तरानी प्रक्षेपिते प्राप्त ३) उत्तरानी	१) लल्लू रघुवरी २) लल्लू रघुवरी ३) लल्लू रघुवरी	(8)
(2) श्री - विनोद लल्लू तहु - लल्लू रघुवरी जिला - दार्जनी गावाड़	—	छोड़ भूमि ५,५०० चौर (प्रदूषित भूमि)	३०५५ ५,००००००० (प्रदूषित भूमि)	लंबे के नाम से	१) प्रक्षेपिते प्राप्त २) उत्तरानी प्रक्षेपिते प्राप्त ३) उत्तरानी	१) लल्लू रघुवरी २) लल्लू रघुवरी ३) लल्लू रघुवरी	(8)
(3) श्री - वराह लल्लू तहु - लल्लू रघुवरी जिला - दार्जनी गावाड़	—	१५०० चौर काला गाँव (प्रदूषित भूमि)	३०५५ १५,००००००० (प्रदूषित भूमि)	लंबे के नाम से	१) लल्लू रघुवरी दार्जी द्वारा हस्तान्तरित (पुरा)	१) लल्लू रघुवरी २) लल्लू रघुवरी ३) लल्लू रघुवरी	(8)
(4) श्री - वनरहडा तहु - लल्लू रघुवरी जिला - दार्जनी गावाड़	—	छोड़ भूमि ६,५०० चौर (ब्लॉक व्यवस्था) (लाइफपैप)	३०५५ ६,०००५ (ब्लॉक व्यवस्था) (लाइफपैप)	(नितिन रघुवरी के नाम (पुरा))	१) नितिन रघुवरी द्वारा हस्तान्तरित (पुरा)	१) लल्लू रघुवरी २) लल्लू रघुवरी ३) लल्लू रघुवरी	(8)
(5) मोपाल शहर के लानिनगर में पर निर्माण भूमि D-3/577	३०५५० मुख्य पर निर्माण भूमि	३०५५० मुख्य (ब्लॉक व्यवस्था)	३०५५० मुख्य (ब्लॉक व्यवस्था)	मिति ज्योति रघुवरी (परिवेश)	१) मिति ज्योति रघुवरी (परिवेश)	१) लल्लू रघुवरी द्वारा हस्तान्तरित (परिवेश)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर श्री विनोद लल्लू रघुवरी
नाम रुद्रा मार्गील
पद

१८/१११७